भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 120

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

बाल श्रम

120. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा की गई नई पहल बाल श्रम को नियंत्रित करने में सफल रही है;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और
(ग) बाल श्रम पूर्णतया कब तक समाप्त होने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी हां। सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में नियोजन पर पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों का जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पर निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन अधिनियम में अधिनियम का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के विरुद्ध कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

बाल श्रम अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधायी ढ़ांचे को सशक्त करने के बाद, सरकार ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 भी बनाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्राधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख है। सरकार ने प्रशिक्षकों,

प्रैक्टिशनरों तथा प्रवर्तन एवं अनुवीक्षण एजेन्सियों के लिए रेडी रैकनर के रूप में मानक प्रचालन कार्यप्रक्रिया भी तैयार की है।

बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन और एनसीएलपी स्कीम का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से एनसीएलपी को सफल बनाने के लिए *पेन्सिल* (बाल श्रम मुक्त के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार(रों), जिला(लों), सभी परियोजना सोसायटियों तथा जनसाधारण से जोड़ता है।

(ख): डेटा का स्रोत जनगणना के आंकड़े हैं। पिछली दो जनगणनाओं से संबंधित डेटा निम्नानुसार है:-

वर्ष	डेटा स्रोत	भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या	भारत में मुख्य कामकाजी बच्चों की संख्या
2001	जनगणना	1.26 करोड़	57.79 लाख
2011	जनगणना	1.01 करोड़	43.53 लाख

(ग): सरकार 8.7 के सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलें कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 2025 तक बाल श्रम का इसके सभी स्वरूपों में उन्मूलन करने की अपेक्षा है।

*****